दिनांक 08.01.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बिहार राज्य खाद्य निगम अंतर्गत धान अधिप्राप्ति से संबंधित प्रमादी मिलरों से बकाया राशि वसूली से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति : संलग्न सूची के अनुसार।

सर्वप्रथम प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा बतलाया गया कि प्रमादी मिलरों से अब तक 240.62 करोड़ रूपये की वसूली हुई है। कुल 2024 प्रमादी मिलरों में से 332 प्रमादी मिलरों द्वारा पूर्ण राशि जमा किया जा चुका है। कुल 992 FIR 1193 मिलरों पर दर्ज किया जा चुका है। इसी प्रकार कुल 1630 सर्टिफिकेट केस प्रमादी मिलरों पर किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध (399 BW(क्रियान्वयन–32) तथा 324 DW(क्रियान्वयन–03) जारी किया जा चुका है।

DIG (CID) विभाग द्वारा बतलाया गया कि प्रमादी मिलरों के खिलाफ अब तक 976 FIR दर्ज किये गये है जिनमें से 255 पर अंतिम आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा अब तक 199 मिलरों की गिरफ्तारी तथा 836 मिलरों द्वारा 'आत्मसमर्पण' किया गया है। साथ ही 319 वारण्ट, तामिला–285 और 25 कुर्की/जप्ती, तामिला–23 निर्गत किये गये है, 30 कांडो पर न्यायालय का रोक है तथा 95 मामलों में Speedy Trial चलाया जा रहा है। इसी प्रकार प्रमादी मिलरों के विरूद्ध अब तक 777 नीलामवाद दायर किये गये हैं, जिसमें से 192 DW जारी किया गया है जिनमें से 53 का तामिला हो चुका है और 139 लंबित है। इसी प्रकार कुल 96 BW जारी किया गया है, जिनमें से 18 का तामिला हो चुका है और 78 लंबित है। इस पर मुख्य सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा गया कि BW और DW की कार्रवाई काफी धीमी है, जिसके कारण सरकार का अभी भी 1341.75 करोड़ रूपये प्रमादी मिलरों के पास बकाया है। उन्होंने कहा कि यथा आवश्यक प्रयास करते हुए वसूली कार्य में प्रगति लाया जाय।

BW/DW समीक्षा के क्रम में DIG (C.I.D) द्वारा बतलाया गया कि जहानाबाद में कुल 16 नीलामवाद दायर है जिसके विरूद्ध 14 DW निर्गत हुआ है जिसमें से 03 वापस और 11 स्थगन हैं। इसी प्रकार भोजपुर में 39 नीलामवाद के विरूद्ध 31 DW निर्गत हुआ है जिसमें से 03 वापस और 11 स्थगन है। समीक्षोपरान्त मुख्य सचिव द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

(1) प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम जिलावार – नामवार– प्रमादी मिलरों की सूची, नीलामवाद केस नंबर और FIR का केश न0 व थाना नाम के साथ DIG (C.I.D) को उपलब्ध करायेंगे और DIG (C.I.D) (BW/DW का) Execution तेजी से कराएँ तथा इसकी सूचना गृह (विशेष) विभाग को भी दें।

(2) गृह (विशेष) विभाग देखे कि BW/DW का Execution ठीक से हो रहा है या नहीं। साथ ही इसके क्रियान्वयन हेतु जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के स्तर से तेजी लायी जाय।

(3) DW के वापस और स्थगन के संबंध में DIG (C.I.D) निदेश दिया गया कि वे इसका स्पष्ट कारण भी प्रतिवेदन में सम्मिलित करें।

(4) निगम एवं पुलिस द्वारा प्रमादी मिलरों से बकाये राशि की वसूली हेतु प्रभावकारी कार्रवाई सुनिश्चित हो, ताकि राशि की वसूली त्वरीत गति से हो।

धन्यवाद के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव ।

ज्ञापांकः– प्र04 / ख0वि0अधि0–04 / 14 657 खाद्य, पटना / दिनांक 28/01/16

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / पुलिस महानिदेशक, बिहार / महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना / महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना / प्रधान अपर महाधिवक्ता, बिहार, पटना / अपर पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, महानिरीक्षक, मुख्यालय, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/16

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।